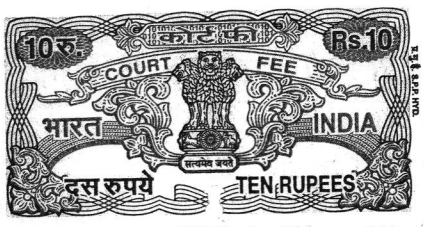

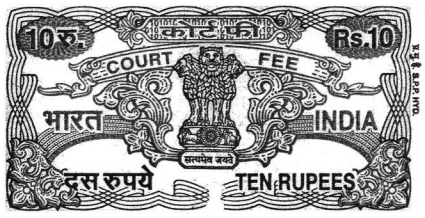

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक : ..../2014

नि० - 293 - PBR - 15

01. **दुलीचंद** आत्मज स्व. श्री चैनसिंह, वयस्क
02. **शिवनारायण** आत्मज स्व. श्री चैनसिंह, वयस्क

दोनों निवासी व कृषक ग्राम नरेला, तहसील हुजूर,
ज़िला भोपाल .... **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

माखन सिंह आत्मज श्री अनोखीलाल, वयस्क
निवासी ग्राम नरेला, तहसील हुजूर,
ज़िला भोपाल .... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध आदेश पत्रिका दिनांक 15.01.2015, जो प्रकरण क्र. 4/अ–70/14–15 में न्यायालय श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया।

noted
17/2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 273–पीबीआर/15 **जिला** भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–2–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 15–1–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेशिका में तहसीलदार द्वारा अनावेदक का प्रतिपरीक्षण किया जाकर शेष के प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण नियत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क विचार योग्य नहीं है कि तहसीलदार के समक्ष मूल भूमिस्वामी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर उसके पुत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका उसे अधिकार नहीं था, और इस आशय की आपत्ति आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, क्योंकि तहसीलदार के समक्ष अभी आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, और वे उक्त आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि आवेदकगण की ओर से पूर्व में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, तब पुनः आपत्ति पर विचार करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	